


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 2212 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <p>ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाडा</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा, दिनेश पुत्र नारायणलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के आराजी नम्बर 921 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 923 / 2 रकबा 0.2313 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 927 / 2 रकबा 0.3853 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.7810 हैक्टेयर रहेगी।</li> <li>2. नाबालिग अरविन्द, शालू पुत्री राजु सरक्षक लीला देवी खाती, सा0 आर.सी. व्यास कॉलोनी, रामेश्वर पुत्र छोगा अजमेरा सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :- <ul style="list-style-type: none"> <li>-आराजी नम्बर 923 / 1 रकबा 0.1860 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 927 / 1 रकबा 0.2975 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4835 हैक्टेयर भूमि रहेगी।</li> </ul> </li> </ol> <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पटवार सहायक अधिकारी  
 भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या  
414/2024

पीठासीन अधिकारी:—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.  
दायर दिनांक  
30.07.2024

निर्णय दिनांक  
16.08.2024

- नारायण लाल आत्मज श्री केदार लाल लढा निवासी 2 एफ 11 आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
- दिनेश पुत्र नारायण लाल लढा निवासी 2 एफ 11 श्रीनाथ गार्डन के सामने आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

— वादी

- अरविन्द पुत्र राजू खाती, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री राजू खाती निवासी आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा
- शालू पुत्री श्री राजू खाती, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री राजू खाती निवासी आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा
- रामेश्वर पुत्र श्री छोगा अजमेरा, निवासी आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

उपस्थित :-

—प्रतिवादीगण

- वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
- विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात


वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रकरण में — इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

- नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा, दिनेश पुत्र नारायणलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के आराजी नम्बर 921 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 923/2 रकबा 0.2313 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 927/2 रकबा 0.3853 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.7810 हैक्टेयर रहेगी।
- नाबालिग अरविन्द, शालू पुत्री राजू संरक्षक लीला देवी खाती, सा0 आर.सी. व्यास कॉलोनी, रामेश्वर पुत्र छोगा अजमेरा सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 923/1 रकबा 0.1860 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 927/1 रकबा 0.2975 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4835 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।

  
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा